फर्द अहकाम
रमेश बनाम तहसीलदार

न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी
मु0नं0 :– 421/2025

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप0। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु दिनांक 24/11/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी फागी
	24/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने साक्ष्य पेश कर शपथ पत्र पेश किये। साक्षी के हस्ताक्षर अंकित कराये गये बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/11/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी फागी
	28/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। आदेश सुनाया जाता है प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी फागी

R. Pa [signature]

कृपाल
चन्द्राराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः— 421/2025
निर्णय दिनांकः—28.11.2025
पीठासीन अधिकारीः—राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रमेश राघव पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी हाल निवासी प्लॉट नं. 02 चित्रकूट कॉलोनी, कालवाड रोड जिला जयपुर राजस्थान।
2. अशोक कुमार गुर्जर पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुडली तहसील फागी हाल निवासी प्लॉट नं. 95, गुर्जर कॉलोनी, झोटवाडा कालवाड रोड जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः— श्री विनय कुमार जैन अधिवक्ता वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज

निर्णय

दिनांकः—28.11.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 256 ख.नं. 875 रकबा 0.6449 है0, ख.नं. 876 रकबा 0.7081 है0 कुल किता 02 कुल रकवा 1.3530 है0 भूमि वाके ग्राम कुडली पटवार हल्का घटियाली भू. अभि. नि. क्षेत्र मण्डावरी तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का 1/3 हिस्सा वर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण लगान सरकारी अदा करते आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता अनपढ व्यक्ति थे एवं वह राजस्व रिकॉर्ड में नहीं समझते थे। इसलिये उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामकरण पुत्र बख्तावरा दर्ज कर दिया गया जो गलत था। वास्तव में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र बख्तावरा था। प्रार्थीगण के पिता के सभी सरकारी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड भामाशाह कार्ड आदि सभी जगह प्राथीगण का नाम रामचन्द्र पुत्र बख्तावरा ही दर्ज है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजात में भी पिता का नाम रामचन्द्र ही दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण को उक्त गलती का पता ही नहीं लगा क्यों कि प्रार्थीगण अपनी आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। अभी हाल ही में दिनांक 10/08/2025 को प्रार्थीगण अपने पिता का विरासत का नामान्तकरण करवाने हेतु पटवारी हल्का से मिले तो पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारा पिता का जमाबन्दी में नाम सही दर्ज नहीं है, इसलिये जब तक तुम इसे दुरूस्त नहीं कराओगें तब तक तुम्हारे पिता का विरासत का नामान्तकरण नही हो सकता।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिये जब प्रार्थीगण अप्रार्थी के पास गये तो अप्रार्थी ने दिनांक 19/09/2025 को उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण के पिता के अपनढ एवं नाबालिग होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम रामचन्द्र के स्थान पर रामकरण दर्ज कर दिया गया जो गलत था एवं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं दुरूस्ती के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसकी आजीविका का साधन उक्त आराजी ही है यदि इसे दुरुस्त नही किया तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं प्रार्थीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार फागी उपस्थित हुए तथा अपना जवाब पेश किया और जवाब में बताया कि ग्राम कुडली की जमाबंदी संवत 2076 से स्थायी के खाता सं. 256 में खसरा नं. 875 रकबा 0.6449 हैक्टेयर, खसरा नं. 876 रकबा 0.7081 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3530 हैक्टेयर रामकरण पुत्र बख्तावरा अकवाम गुर्जर सा. देह के नाम सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड हुई है। सेटलमेंट खतौनी की प्रति पत्रांक के साथ संलग्न है।

साक्ष्य हेतु प्रार्थी ने स्वयं एवं कृपाल पुत्र नारायण जाति जाट एवं नन्दाराम पुत्र हरसूख लाल निवासी कुडली तहसील फागी जिला जयपुर के शपथ पत्र पेश किये। तथा साक्ष्य में बताया कि विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 256 ख.नं. 875 रकबा 0.7081 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.3530 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता का 1/3 हिस्स है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता अनपढ व्यक्ति थे एवं राजस्व रिकॉर्ड में नही समझते थे इसलिए राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता का नाम रामकरण पुत्र बखतावरा दर्ज कर दिया गया जो गलत था। वास्तव में प्रार्थीगण के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र बख्तावरा था। प्रार्थीगण के पिता के सभी सरकारी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, परिचय पत्र आदि में सभी जगह प्रार्थीगण के पिता नाम रामचन्द्र पुत्र बख्तावरा ही दर्ज हैं इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजात में पिता का नाम रामचन्द्र ही दर्ज है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 वाके ग्राम कुडली मे स्थित खाता सं0 256 उक्त विवादग्रस्त आराजी मे रामकरण पुत्र बख्तावरा हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

1/3 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 256 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 875, 876 भूमि वाके ग्राम कुडली तहसील फागी जिला जयपुर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन प्रार्थीगण के पिता का नाम रामकरण पुत्र बख्तावरा के स्थान पर रामचन्द पुत्र बख्तावरा राजस्व रिकॅार्ड मे दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

सत्यमेव जयते